न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 42/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/346

अनवान

1. श्रीमती गंगा बाई पुत्री स्व. श्री उम्मेदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती साणीबाई मृतक के बजाय–

2/1 श्री भेरूलाल पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी निवासी बानसेन तहसील भेदसर जिला चित्तौडगढ़ (राज.) हाल निवासी मन्दसौर (मध्यप्रदेश)।

2/2 श्रीमती देऊ पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल, पत्नी स्व. री तुलसीराम जाति सालवी निवासी झाड़सादड़ी, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़ राज.।

2/3 श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल, जाति सालवी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.) हाल निवासी मन्दसौर (मध्यप्रदेश)।

............वादीगण

बनाम्

1. 1. श्री स्व. श्री नंदा मृतक के बजाय–

1/1 श्रीमती चंदणीबाई पत्नी स्व. श्री नंदा (मृतक नाम हटाया गया)

1/2 श्री मांगीलाल पुत्र स्व श्री नंदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/3 श्रीमती रामी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी स्व. श्री शंकरलाल जाति सालवी निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ राज.।

1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी श्री मांगीलाल जाति सालवी निवासी सेठवाना तहसील डूँगला जिला चित्तौडगढ (राज.)।

1/5 श्रीमती राधीबाई पुत्री स्व. श्री नंदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–
1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.04.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लालपुरा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर [illegible] आराजी संख्या 8, 9, 18, 154, 185, 232/2, 232/1, 236, [illegible] 325/2, 325/4, 328/2 कुल किता 19 [illegible] बिघा 19 [illegible] भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हैं। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई बहन हैं। वादपत्र में अंकित सजरे के अनुसार उम्मेदा जो हमारे पिता थे अनकी मृत्यु सन् 1977 के करीब हो गई उनके उताराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हम वादीगण है जो उनके जायन्दा पुत्र एवं पुत्रीया है। यह कि उक्त वाद पत्र की न. 1 में अंकित कुलिया भूमि हम पक्षकारान की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक संपति है जो हमारे पिताजी उम्मेदा जी के बाप दादाजी के वक्त से चली आ रही है इस संपति में मुझ वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा वादी स. 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स. 1 का 1/3 हिस्सा होकर हक अधिकार एवं आधिपत्य हैं। हमारे पिता उम्मेदा जी के मरणोपरान्त प्रतिवादी स. 1 ने उनके खाते की कुलिया आराजीयात नामान्तकरण स. 79 से अकेले अपने दर्ज कराली जबकि इस भूमि में हम वादीगण का क्रमशः 1/3 – 1/3 हक हिस्सा व अधिकार है। यह नामान्तरण जो उम्मेदा जी के विरासत का खुला उसमें कोई सूचना ही नहीं दी गई एवं न ही उम्मेदा जी के वारिसों की जांच की गई हमारी पीठ पीछे सारी कार्यवाही की गई जो अवैधानिक होकर निरस्तनीय है इस अवैधानिक नामान्तरण के जरिये प्रतिवादी स. 1 ने उम्मेदा जी के समस्त भूमि अपने खाते दर्ज करा ली व और अब व हमारे अधिकारों को चुनौती देने लगा है एवं मनाही करने लगा है तथा भूमि की अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने पर तुला हुआ है ओर हमे अपने हक व अधिकारो से वंचित करना चाहता है जिससे प्रतिवादी स. 1 के विरूद्ध घोषणा बंटवाडा निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हो गया है अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादीया संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह अस्वीकार है कि श्री उम्मेदा जी की मृत्यु सन् 1977 में हो गयी हो। वास्तव में श्री उम्मेदा जी की मृत्यु सन् 1953 अर्थात संवत् 2009 में हो गयी थी किन्तु किसी प्रकार हिन्दु उताराधिकारी अधिनियम की इस मामले में लागु करने के लिए उम्मेदा की मृत्यु का सन् 1977 बताया है जो गलत है चूंकि जब मृत्यु ही उम्मेदा की सन् 1953 में हो गयी है तो उनके उताराधिकारी वादीगण के होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं उम्मेदा की मृत्यु के पश्चात एकमात्र उताराधिकारी जो प्रतिवादी है ओर वही वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार स्वामी एवं अधिपत्यधारी है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का किसी प्रकार को काई हक अधिकार या आधिपत्य नहीं है इस कारण वादी स. 1 व 2 का 1/3 – 1/3 का हिस्सा होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है।

3. यह कि प्रतिवादी के पहले दो पत्निया है पहली वाली पत्नी चन्दनी है जिससे प्रतिवादी को उसके द्वारा मांगु पुत्र एवं दो पुत्रीया हैं। चूंकि चंदनी प्रतिवादी को छोडकर उसके पीयर में रहने लग गयी जिससे प्रतिवादी के पिता ने प्रतिवादी को दुसरी शादी करवायी दुसरी पत्नी का नाम शंकरी है। प्रतिवादी के द्वारा शंकरी की जब लम्बे समय तक कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई तब तक कोई विवाद नहीं था किन्तु करीब 6 वर्ष पूर्व जब शंकरी की कोख से एक पुत्री पेदा हो गई तो चंदनी के पुत्र मांगु को यह भय हो गया कि अब यह भी 1/2 हिस्सा लेगे जिससे घर में विवाद होना शुरू हुआ एवं अन्तोतगत्वा मांगु जो प्रतिवादी का पुत्र है वो वादीगण को बहकाने फुसलाने में सफल हो गया एवं उनकी बहला फुसला कर मिथ्या वाद प्रस्तुत कराया है [illegible] बहस आराजीयात में कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी का पुत्र मांगु की [illegible] है कि झुठ–मुठ रूप से वादी स. 1, 2 के नाम 1/3 हिस्सा [illegible] करवाले क्योंकि प्रतिवादी के जीवन काल में मांगु की घोषणा [illegible] नहीं है इसलिए वादीगण [illegible] तथ्यों के आधार पर यह [illegible] किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/5 श्रीमती राधी बाई द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम न. 2 में अंकित सजरा अपुर्ण एवं गलत होने से अस्वीकार हैं। इस कलम में उम्मेदा की मृत्यु का समय भी गलत बताया गया। जबकि वास्तव में उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में ही हो चुकी थी इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कसी भी प्रकार का स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है। न ही इस मामले में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम लागू होता है। वादीगण की शादीया 40 से भी अधिक वर्षो पूर्व होकर व अपने ससुराल में रह रही है। इन 40 वर्षो में वादीगण का कभी भी वादग्रस्त आराजीयात में एक दिन के लिए भी आधिपत्य नहीं रहा। वादीगण उतरदाता प्रतिवादी के पिता से नहीं बोलती थी इस कारण स्वर्गीय नंदा के जीवनकाल में कभी भी न तो वादग्रस्त आराजीयात पर आयी, ना कभी काश्त का कार्य किया इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का स्वत्व अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। यह गलत है कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति हो। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय श्री नंदा जी स्वअर्जित सम्पति है विदित रहे कि श्री उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में हो चुकी थी एवं वादग्रस्त आराजी का एक मात्र स्वामी सोल ओनर होने के कारण भी वादग्रस्त आराजीयात मृतक नंदा की स्वअर्जित सम्पति है। इस कारण वादीगण का यह कथन पुर्णतया गलत एवं मिथ्या है कि उनका वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 – 1/3 हिस्सा से अधिकार एवं आधिपत्य है।

5. यह कि श्री उम्मेदा जी के पश्चात मृतक श्री नंदा जी ही एक मात्र उतराधिकारी था, सोल ओनर था जिसके मृतक नंदा के नाम वादग्रस्त आराजीयात पुर्णतया सही दर्ज हुई । इस भूमि में वादीगण का 1/3 – 1/3 हक से हिस्सा होने का कथन सर्वथा मिथ्या एवं मनगढन्त है। यह कि वादग्रस्त भूमि मृतक श्री नंदा जी की स्वअर्जित सम्पति है जिससे वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। विदित रहे कि श्री उम्मेदा की मृत्यु आज से करीब 52 वर्ष पुर्व अर्थात सन् 1953 में हो चुकी है एवं तत्समय उम्मेदा का एकमात्र पुत्र नंदा था इस कारण वह वादग्रस्त आराजीयात का एक मात्र स्वामी सोल ओनर बना। इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार स्वत्व का उदभव नहीं हुआ। स्वर्गीय उम्मेदा ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीया/वादी स. एक का विवाह चाकुडा एवं वादीया सं. 2 का विवाह बानसेन करवा दिया था तभी से दोनो वादीगण अपने ससुराल में रह रही हैं। इतना ही वादीगण स. 2 तो गत कई वर्षो से मन्दसौर मध्यप्रदेश में निवास कर रही है। मृतक श्री नंदा ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की पहली वाली पत्नी चंदणी एवं दुसरी पत्नी उतरदाता प्रतिवादिया की माता श्रीमती शंकरी है। चूंकि श्रीमती चंदणी मृतक श्री नंदा को उसके जीवनकाल में ही छोडकर चली गयी जिससे स्वर्गीय उम्मेदा ने मृतक श्री नंदा की उतरदाता प्रतिवादिया की माता से दुसरी शादी करवायी। ज्यों ही श्रीमती शंकरी की कोख से उतरदाता प्रतिवादिया का जन्म हुआ तो चंदणी के पुत्र मांगीलाल को यह भय हो गया कि अब राधीबाई भी 1/2 हिस्सा लेगी जिससे श्री मांगीलाल ने अपनी भुआ अर्थात वादीगण को बहला फुसला कर यह वाद प्रस्तुत करवा दिया और उक्त श्री मांगीलाल का यही प्रयास है कि यदि वादीगण के नाम 1/3 – 1/3 हिस्सा घोषित हो जाता है तो वाद में मांगीलाल उनसे उक्त भूमि ले लेना इसी दुर्भावना से यह वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6 प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/[illegible] द्वारा काउन्टर वाद पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात [illegible] रा में स्थित हे जो वर्तमान राजस्व अभिलेखो में मृतक श्री [illegible] त स्वर्गीय श्री नंदा की स्वर्जित सम्पति थी। स्व. श्री उम्मेदा जो [illegible] दा के पिता थे, उनकी मृत्यु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

समय श्री नंदा एक मात्र पुत्र था जिससे वह वादग्रस्त आराजीयात का एकमात्र स्वामी सोल ओनर बना जिससे वादग्रस्त आराजीयात उसकी स्वअर्जित सम्पति है। श्री नंदा की मृत्यु दिनांक 21.09.98 को हो चुकी है नंदा के जीवनकाल में उसने दो शादीया की प्रथम पत्नी का नाम चंदणी है जो नंदा के जीवनकाल में ही उसे छोडकर चली गयी जिससे श्री नंदा ने दूसरी शादी श्रीमती शंकरी से की। जिससे नंदा के द्वारा शंकरी की कोख से उतरदाता प्रतिवादिया का जन्म हुआ। विदित रहें कि श्रीमती चंदणी की भी मृत्यु हो चुकी है इस कारण वादग्रसत आराजीयात में 1/2 हिस्सा चंदणी के उत्पन्न वारिसो का एवं 1/2 हिस्सा उतरदाता प्रतिवादिया का है। विदित रहे कि इस मामले में पुर्व में वादीगण द्वारा उतरदाता प्रतिवादिया को एवं श्रीमती शंकरी को नातायत पत्नी बताते हूए दोनो का हक नहीं माना किन्तु माननीय राजस्व मण्डल से इस मामले में स्पष्ट रूप से उतरदाता प्रतिवादिया को श्री नंदा मृतक का विधिक उतराधिकारी माना है जिससे उतरदाता प्रतिवादिया का वाद पत्र की कलम न. 1 में वर्णित आराजीया में 1/2 हिस्सा से स्वामित्व खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य है ओर इसे इसी अनुसार प्रतिवादिया राधा बाई अपने नाम घोषित कराने की अधिकारी है। अतः अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कथन गलत है कि वादीगण ने सजरा अपुर्ण पेश किया हो उम्मेदा की मृत्यु का समय गलत बताया हो उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में होना भी गलत कथन किया है। उम्मेदा की मृत्यु सन् 1977 में हुई है इस कारण वादीगण का स्वत्व उम्पन्न होता है प्रतिवादिया का यह कथन भी गलत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता हो। वादीगण की शादिया 40 वर्ष पहले होने का कथन भी अस्वीकार, 40 वर्षो में कभी भी एक दिन के लिए भी वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहने का कथन भी अस्वीकार। वादीगण का प्रतिवादी के पिता से नहीं आने कभी भी काश्त नहीं करने वादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने आदि कथन गलत होने से अस्वीकार है। सही स्थिति इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम न. एक में वर्णित भूमि के खातेदार उम्मेदा जी थे और उम्मेदा के नाम अंकन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 तक में चला आ रहा था किन्तु उम्मेदा जी का सन् 1977 में निधन हो गया। उम्मेदा जी के निधन के पश्चात पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं. 79 भरा और दिनांक 15.10.77 को ग्राम पंचायत हिन्ता द्वारा स्वीकृत कर दिया। हम वादीगण के पिता उम्मेदा जी का निधन सन् 1953 में नही होकर सन् 1977 में हुआ और सन् 1977 में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम होते हुए भी पटवारी हल्का ने मृतक उम्मेदा के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान की सही जाचं नहीं की न वादीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दी। वादीगण के भाई मतृक नंदा ने वादीगण को उनके हक व हिस्से की सम्पति से महरूम रखने की नीयत से कथित नामान्तकरण स्वीकृत करा लिया जब कि उम्मेदा की मृत्यु पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी मृतक नंदा ही उनके विधिक उतराधिकारी मौजुद थे। इस प्रकार उम्मेदा के फौत होने के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी मृतक नंदा ही उनके विधिक उत्तराधिकारी मोजूद थे। इस प्रकार उम्मेदा के फौत होने के पश्चात उनकी सम्पति उनके विधिक उतराधिकारियों वादीगण क्रमशः 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।

8. यह कि विदित रहे कि श्री [illegible] बाद नामान्तकरण सं. 79 से भूमि अपने खाते दर्ज करा ली। श्री नंदा ने श्री[illegible] चंद[illegible] से हिन्दु जाति रिति रिवाज के अनुसार शादी की तथा चंद[illegible] पुत्र [illegible] एवं पुत्रीयां रामी मोहनी का जन्म हुआ किन्तु नंदा की जिन्दगी में शंकरी नाम की [illegible] जो चन्दणी के जिवित अवस्था में ही आ गयी और [illegible] प्रतिवादिया राधी बाई का जन्म हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमती शंकरी से नंदा ने कभी कोई शादी नहीं की बल्कि शंकरी नंदा की। शंकरी द्वारा नंदा को बहका दिये जाने से उसने वादीगण के हक व अधिकारों को चुनौती दी तब वादीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह वाद पेश किया है।

9. यह कि वादग्रस्त भूमि नंदा की स्वअर्जित नहीं है वादग्रस्त भूमि वादीगण की मोरूसी सम्पति है जिससे वादीगण का हक व अधिकार निहित है। जब उम्मेदा सन् 1953 में मरा ही नहीं तो नंदा सोल ओनर हा` ही नहीं सकता है वादीगण का विवाह होने का कथन सही किन्तु वादीगण ससुराल एवं पीहर में आकर कब्जा काश्त कर रही है और वादीगण का स्वत्व निहित है। नंदा की चन्दणी से शादी होनो तो स्वीकार है किन्तु नदां ने शंकरी से शादी नहीं की ओर न ही चंदणी नंदा को छोडकर गयी इसलिए नंदा ने दुसरी शादी की बल्कि राधी को हक दिलाने के लिए झुठा कथन किया है राधी अधमर्ज सन्तान होने से उसका नंदा सम्पति में किसी प्रकार को कोई राईट न तो बनता है न हिस्सा होने का सवाल ही पेदा होता है। नंदा की दो शादीया होने का कथन गलत है। नंदा ने एक शादी चंदणी से की थी। अतः काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र की कलम न. एक में वर्णित आराजीयात में वादीगण क्रमशः 1/3 – 1/3 हिस्सा घोषित कराने की व बंटवाडा कराने की अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

2. आया उम्मेदा की मृत्यु सन् 1977 में होने से वादीगण एवं मतृक नंदा प्रतिवादी सं. 1 उम्मेदा के उत्तराधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

3. आया उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में होने से विवादग्रस्त आराजीयात नंदा की स्वअर्जित सम्पति है जिसे वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।

.....जिम्मे प्रतिवादी राधा बाई

4. आया प्रतिवादी राधा बाई वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बंटवाडा कराने की काउन्टर क्लेम के आधार पर अधिकारी है।

.....जिम्मे प्रतिवादी राधा बाई

5. अनुतोष।

11. अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्लयू 1 श्रीमती साणी बाई पिता श्री उम्मेदा, पीडब्ल्यू 2 श्री भगवानलाल पिता श्री परथा, पीडब्ल्यू 3 श्री कसना पिता उंकार के बयान कराये। वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी की नकल प्रदर्श–1 एवं नामान्तकरण की नकल प्रदर्श–2 कराई गई।

12. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब व काउन्टर वाद के समर्थन में गवाह बयान डीडब्ल्यू 1 नंदा पिता उम्मेदा, डीडब्ल्यू 2 श्री गोदा पिता कसना, डिडब्ल्यु 3 श्री भगा पिता कसना, डिडब्ल्यु 4 राधा बाई पिता नंदा, डिडब्ल्यु 5 शंकरी बाई पिता नंदा, डिडब्ल्यु 6 सरदार सिंह पिता प्रताप सिंह करवाये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दस्जावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये।

13. प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस एवं तर्को पर मनन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

I. आया वादी वादपत्र की कलम न. एक में वर्णित आराजीयात में वादीगण क्रमशः 1/3 – 1/3 हिस्सा घोषित कराने की व बंटवाडा कराने की अधिकारी है।

उपरोक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्लयू 1 श्रीमती साणी बाई पिता श्री उम्मेदा, पीडब्ल्यू 2 श्री भगवानलाल पिता श्री परथा, पीडब्ल्यू 3 श्री कसना पिता उंकार के बयान कराये। वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी की नकल प्रदर्श–1 एवं नामान्तकरण की नकल प्रदर्श–2 कराई गई। वादीगण के कथनानुसार उम्मेदा जी हमारे पिता थे जिनकी मृत्यु सन् 1977 में हो गई उनके उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हम वादीगण है जो उनके जाईन्दा पुत्र व पुत्रीया हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक समपति हैं जो हमारे पिता जी उम्मेदा जी के बाप दादाओं के समय से चली आ रही हैं जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा होकर आधिपत्य हैं। हमारे पिता जी उम्मेदा जी के मरणोपरान्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम दर्ज करा ली जबकि वादग्रस्त भूमि में हम वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा अधिकार है जिससे वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने नाम 1/3 – 1/3 हिस्सा घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी की नकल प्रदर्श –1 कराई जिसके अध्ययन से पाया कि वादग्रस्त आराजी न. 8, 9, 18, 154, 185, 232/2, 232/1, 236, 246, 247, 255, 256, 259, 260, 296, 277, 325/2, 325/4, 328/2 किता 19 रकबा 30 बिघा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में नंदा पिता उम्मेदा बलाई के नाम अंकित हैं। जमाबंदी प्रदर्श –2 नामान्तरण की प्रति के अध्ययन से पाया कि वादग्रस्त आराजी किता 19 रकबा 30 बिघा 15 बिस्वा भूमि जरिये विरासत नामान्तरण श्री उम्मेदा पिता भेरा बलाई सा. देह के बजाय नंदा पिता उम्मेदा बलाई सा. देह के नाम नामान्तरण संख्या 79 दिनांक 15.10.1977 से दर्ज हुई उक्त नामान्तरण दिनांक 15.10.1977 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच किया गया तथा ग्राम पंचायत हिंता द्वारा उसी दिन दिनांक 15.10.1977 को स्वीकृत किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि उम्मेदा पिता भेरा बलाई के बजाय नंदा पिता भेरा बलाई के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। उक्त नामान्तरण की प्रति से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि हैं जो उनके पिता उम्मेदा पिता भेरा के नाम अंकित थी जो नामान्तरण संख्या 79 दिनांक 15.10.1977 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हुई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में वाद पत्र में अंकित सजरे को स्वीकार किया है जिसमें उममेदा जी के एक पुत्र नंदा तथा दो पुत्रीया वादीगण बताई गई हैं जिससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। दस्तावेज प्रदर्श –2 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित सम्पति बताया जिसके संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त तनकी को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

II. आया उम्मेदा की मृत्यु स[illegible] मृतक नंदा प्रतिवादी सं. 1 उम्मेदा के उत्तराधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित क[illegible] उक्त तनकी के संबंध में जब हम दस्तावेज प्रदर्श–2 नामान्तरण की प्रति के अ[illegible] कि उक्त नामानतरण संख्या 79 दिनांक 15.10.1977 को ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण की प्रति में यह स्पष्ट अंकन है कि खातेदार श्री उम्मेदा एक माह पूर्व फौत हुआ जिससे वादी के उक्त कथन को बल मिलता है कि खातेदार उम्मेदा का निधन 1977 में हुआ जिससे उक्त मामले में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 लागु होता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन कहा की श्री उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में हुई जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की प्रति से स्पष्ट है कि श्री उम्मेदा की मृत्यु सन् 1977 में हुई थी जिससे उक्त मामले में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 लागु होता हैं। इस संबंध जब हम हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 का अध्ययन करते है तो पाते है कि उक्त धारा में पुरूष के बिना वसीयत के फौत होने पर उसके प्रथम वर्ग के रिश्तेदार उसके उतराधिकारी होते हैं उक्त मामले में खातेदार श्री उम्मेदा के प्रथम वर्ग के रिश्तेदार वादीगण (पुत्रीया) व प्रतिवादी संख्या 1 (पुत्र) हैं इनके अलावा अन्य कोई प्रथम वर्ग के उतराधिकारी नहीं है बयान गवाह डिडब्ल्यु–4 राधा बाई ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि " **उम्मेदा जी के एक लडका व दो लडकीया है जिस समय उम्मेदा जी मरे उस समय उनका लडका और दो लडकीया थी। लडके का नाम नंदा जी व लडकीयों का नाम साणी बाई व गंगा बाई हैं। यह सही है कि दावे वाली जमीन उम्मेदा जी की थी।** " इससे वादी के कथन को बल मिलता हैं। बयान डिडब्ल्यु–5 शंकरी बाई ने भी अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि **उम्मेदा जी के दो लड़कीया साणी बाई व गंगा बाई व एक पुत्र नंदा था** जिससे भी वादी के कथन को बल मिलता हैं। उक्त तनकी के माध्यम से वादीगण यह कथन साबित करने में सफल रहें की श्री उम्मेदा की मृत्यु सन् 1977 में हुई थी जिनके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

आया उम्मेदा की मृत्यु सन् 1953 में होने से विवादग्रस्त आराजीयात नंदा की स्वअर्जित सम्पति है जिसे वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजीयात को स्वअर्जित सम्पति बताया है तथा उम्मेदा जी की मृत्यु सन् 1953 में होना बताया है। उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की यह साबित हो की वादग्रस्त आराजीयात स्वअर्जित सम्पति है। जबकि वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 प्रस्तुत किये गये हैं। दस्तावेज प्रदर्श–2 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि स्व. श्री उम्मेदा जी के फौत होने से विरासत नामान्तरण संख्या 79 दिनांक 15.10.1977 से वादग्रस्त भूमि श्री उम्मेदा के बजाय नंदा पिता उम्मेदा (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम दर्ज के आदेश हुये साथ ही दस्तावेज प्रदर्श–2 से यह भी स्पष्ट है कि श्री उम्मेदा का देहावसान 1953 में न होकर 1977 में हुआ है जिसका नामान्तरण की प्रति में स्पष्ट उल्लेख हैं। इस संबंध में जब हम प्रतिवादी संख्या 1 नंदा पिता उम्मेदा के बयान को देखते है तो पाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयान में स्पष्ट स्वीकार किया है कि " **मेरी जमीन मौजा लालपुरा में हैं जो करीब 30 बिघा है यह जमीन मुझे मेरे पिता जी से मिली है। मैं मेरे पिता का एक लडका हुँ मेरे दो बहनें हैं।**" प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त बयान से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति है। अतः उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहें हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

IV. आया प्रतिवादी राधा बाई वादग्रस्त आराजीयात के 1/... हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बंटवाडा कराने की काउन्टर क्लेम के आधार पर ... अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1/5 पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में कथन कहा कि नंदा की मृत्यु दिनांक 21.09.1998 को चुकी है। नंदा के जीवनकाल में उसने दो शादीया की। प्रथम पत्नी का नाम चंदणी है जो नंदा के जीवनकाल में ही उसे छोडकर चली गई जिससे श्री नंदा ने दुसरी शादी श्रीमती शंकरी से की जिससे नंदा के द्वारा शंकरी की कोख से राधा बाई का जन्म हुआ इस कारण वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा चंदणी से उत्पन्न वारिसों का एवं 1/2 मुझ राधी बाई का है जिससे अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टर वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी राधी बाई श्री नंदा (प्रतिवादी संख्या 1) की वारिस हो। इस संबंध में जब हम राधीबाई व शंकरी बाई द्वारा दिये गये बयान को देखते है तो पाते है की राधी बाई व शंकरी बाई द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया है कि **" यह सही है कि मेरी माता शंकरी बाई की शादी रामचन्द्र सालवी निवासी कपासन से हुई थी। "** उक्त कथन से राधी बाई द्वारा स्वयं को श्री नंदा का वारिस बताना विरोधाभास प्रतित होता हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2004 KERALA 79 KUMARI A. LEKSHMIKUTTY. J. MADHAVAN BALASUNDARAM AND OTHERS. PETITIONERS V. MADHAVAN SARASAMMA AND OTHERS, RESPONDENTS. SPECIFIC RELIEF ACT (47 OF 1963), S. 34- HINDU MARRIAGE ACT (25 OF 1955), S. 16 जो उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/5 राधी बाई द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को स्वअर्जित सम्पति का कथन कहा और श्री उम्मेदा का स्वर्गवास 1953 में होना बताया तथा प्रतिवादी संख्या 1 नंदा की वारिस होने का कथन कह कर वादग्रस्त आराजीयात में अपने नाम 1/2 हिस्से की घोषणा चाही। तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें जिसमें वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति होना वादीगण द्वारा साबित किया गया जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई जिससे प्रतिवादी संख्या 1/5 का वादग्रस्त आराजीयात का स्वअर्जित सम्पति का कथन निराधार हैं। तनकी संख्या 2 भी वादीगण अपने पक्ष में साबिक करने में सफल रहें जिसमें वादीगण द्वारा यह साबित किया गया की श्री उम्मेदा की मृत्यु 1953 में न होकर 1977 में हुई हैं जिससे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 लागु होता हैं। तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में साबित होने से प्रतिवादी का यह कथन की श्री उम्मेदा की मृत्यु 1953 में हुई हैं निराधार है साथ ही प्रतिवादी राधी बाई द्वारा अपने काउन्टर वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो की श्रीमती राधी बाई श्री नंदा की विधिक वारिसान हैं। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें हैं। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1/5 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं। **अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में बंटवाडे का अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे बंटवाडे का अनुतोष ड्रोप किया गया।**

15. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर यह पाया कि वादीगण द्वारा एक वाद 88, 53, 188 के तहत पेश किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजी न. 8, 9, 18, 154, 185, 232/2, 232/1, 236, 246, 247, 255, 256, 259, 260, 296, 277, 325/2, 325/4, 328/2 किता 19 रकबा 30 बिघा 19 बिस्वा को पैतृक सम्पति बताया तथा खातेदार श्री उम्मेदा के विधिक [illegible] /3 – 1/3 हिस्से की घोषणा चाही जिसके जवाब में प्रतिवादी द्वा[illegible] भूमि को स्वअर्जित सम्पति बताया तथा खातेदार श्री उम्मेदा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पुर्व 1953 में होना बताया। प्रतिवादी संख्या 1/5 राधी बाई द्वारा स्वयं को श्री नंदा का विधिक वारिसान बताते हुये अपने 1/2 हिस्से की घोषणा जरिये काउन्टर वाद चाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तनकीवार विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 द्वारा वादीगण यह साबित करने में सफल रहें की वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति हैं जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। तनकी संख्या 2 द्वारा वादीगण यह साबित करने में सफल रहें श्री उम्मेदा की मृत्यु 1953 में न होकर 1977 में हुई हैं जिससे उक्त प्रकरण में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 लागु होता हैं जिससे तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। तनकी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहें की वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित सम्पति हैं जिससे तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई। तनकी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/5 यह साबित करने में असफल रहें की श्री राधीबाई प्रतिवादी संख्या 1 की विधिक वारिसान हैं जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1/5 के विरूद्ध निर्णित की गई। चुंकि तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी का काउन्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा लालपुरा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2046–2049 की आराजी संख्या 8, 9, 18, 154, 185, 232/2, 232/1, 236, 246, 247, 255, 256, 259, 260, 296, 297, 325/2, 325/4, 328/2 कुल किता 19 रकबा 30 बिघा 19 बिस्वा भूमि में श्री नंदा पिता उम्मेदा (प्रतिवादी संख्या 1) के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. श्री उम्मेदा जाति सालवी को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2/1 श्री भैरूलाल पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी, वादी संख्या 2/2 श्रीमती देऊबाई पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल पत्नी स्व. श्री तुलसीराम जाति सालवी, वादी संख्या 2/3 श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/2 श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री नंदा जाति सालवी, प्रतिवादी संख्या 1/3 श्रीमती रामी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी स्व. श्री शंकरलाल जाति सालवी, प्रतिवादी संख्या 1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी श्री मांगीलाल जाति सालवी को 1/3 हिस्से का (वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2/1, 2/2, 2/3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/3, 1/4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 42/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/346

अनवान

1. श्रीमती गंगा बाई पुत्री स्व. श्री उम्मेदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती साणीबाई मृतक के बजाय–

2/1 श्री भेरूलाल पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी निवासी बानसेन तहसील भेदसर जिला चित्तौडगढ़ (राज.) हाल निवासी मन्दसौर (मध्यप्रदेश)।

2/2 श्रीमती देऊ पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल, पत्नी स्व. श्री तुलसीराम जाति सालवी निवासी झाड़सादड़ी, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़ राज.।

2/3 श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल, जाति सालवी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.) हाल निवासी मन्दसौर (मध्यप्रदेश)।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री स्व. श्री नंदा मृतक के बजाय–

1/1 श्रीमती चंदणीबाई पत्नी स्व. श्री नंदा (मृतक नाम हटाया गया)

1/2 श्री मांगीलाल पुत्र स्व श्री नंदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/3 श्रीमती रामी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी स्व. श्री शंकरलाल जाति सालवी निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ राज.।

1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी श्री मांगीलाल जाति सालवी निवासी सेठवाना तहसील डूँगला जिला चित्तौडगढ (राज.)।

1/5 श्रीमती राधीबाई पुत्री स्व. श्री नंदा जाति सालवी निवासी लालपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

मुकदमा न0 : 42/22 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप प्रतिवादी का काउन्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा लालपुरा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2046–2049 की आराजी संख्या 8, 9, 18, 154, 185, 232/2, 232/1, 236, 246, 247, 255, 256, 259, 260, 296, 297, 325/2, 325/4, 328/2 कुल किता 19 रकबा 30 बिघा 19 बिस्वा में भूमि श्री नंदा पिता उम्मेदा (प्रतिवादी संख्या 1) के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. श्री उम्मेदा जाति सालवी को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2/1 श्री भैरूलाल पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी, वादी संख्या 2/2 श्रीमती देऊबाई पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल पत्नी स्व. श्री तुलसीराम जाति सालवी, वादी संख्या 2/3 श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल जाति सालवी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/2 श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री नंदा जाति सालवी, प्रतिवादी संख्या 1/3 श्रीमती रामी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी स्व. श्री शंकरलाल जाति सालवी, प्रतिवादी संख्या 1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. श्री नंदा पत्नी श्री मांगीलाल जाति सालवी को 1/3 हिस्से का (वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2/1, 2/2, 2/3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/3, 1/4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.04.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested